

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2018

विषय:- श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री विनोद कुमार सिंह, पी0सी0एस0, जो शासनादेश संख्या-4393/दो-2-2017-19/2(22)/2017, दिनांक 26-12-2017 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्राप्त कर चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री विनोद कुमार सिंह के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह म0नं0-15, कावेरी विहार, फेज-1, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला-आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2018

विषय:- श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री विनोद कुमार सिंह, पी0सी0एस0, जो शासनादेश संख्या-4393/दो-2-2017-19/2(22)/2017, दिनांक 26-12-2017 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्राप्त कर चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह म0नं0-15, कावेरी विहार, फेज-1, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला-आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,
धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक: 15 जनवरी, 2018

विषय:- श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 के जी0आई0एस0 प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री विनोद कुमार सिंह, पी0सी0एस0, जो शासनादेश संख्या-4393/दो-2-2017-19/2(22)/2017, दिनांक 26-12-2017 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्राप्त कर चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मामले में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि श्री विनोद कुमार सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह म0नं0-15, कावेरी विहार, फेज-1, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला-आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।